न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No 2023 / 181
दायरा तिथि : 12.09.2023
फैसला तिथि : 23-02-2024
प्रार्थीगण::–

1. श्री रघुनाथसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह जी
2. श्री हरीसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह जी
3. श्री नरसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह जी
4. श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह जी जातिगण राजपूरोहित
   निवासीगण शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 23-02-2024

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर ग्राम सेवतलाव तहसील बाली के हाल खसरा नंबर 483 गै.मु. रास्ता को सेटलमेंट पुर्व के नक्शा ट्रेस में दर्ज स्थिति के अनुसार शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया कि भू–प्रबन्ध पुर्व के रिकॉर्ड में ग्राम सेवतलाव के गत खसरा नंबर 335, 336, 337, 341, 343, 344, 360, 362, 369, 370, प्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी भूमि स्थित रही है। उक्त कृषि भूमि व बेरे पर जाने हेतू रास्ता गत खसरा नंबर 342 व 361 मौके पर व रेकॅर्ड में दर्ज था। उक्त रास्ता खसरा नं 342 व 361 के एक तरफ खसरा नं 335, 336, 337, की कृषि भूमि और रास्ते के दूसरी तरफ खसरा नं 360, 362, 343 की भूमि थी लेकिन सेटलमेंट बाद के नक्शे में बने हाल खसरा नं 483 के नक्शे में सेटलमेंट अधिकारीयों की भूल से उपरोक्त रास्ता 477, 478 के दक्षिण की तरफ दर्ज कर दिया, जो मौका स्थिति के विपरित है जिसको पूर्व स्थिति के अनुसार वर्तमान खसरा नं 475, 476, 477 के बीच में एवं खसरा नं 478, 479, एवं 480 के बीच में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः दुरूस्ती के जरिये खसरा नंबर 483 गै.मु. रास्ता हाल खसरा नं 477 की उत्तरी पश्चिमी सीमा एवं खसरा नं 478 की उत्तरी सीमा पर नक्शे में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में खतौनी बन्दोबस्त संवत 2038–2046 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबंदी संवत 2009 से 2028, खतौनी बन्दोबस्त संवत 2030 से 2033, प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेस गत व हाल की प्रमाणित प्रतिलिपि, वर्तमान जमांबदी, जमाबंदी संवत 2030 से 2033 की प्रतियां पेश की गई। प्रकरण पंजिबद्ध कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का, शिवतलाव व तहसीलदार, बाली ने जांच कर निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की–

1. प्रकरण की मौका एवं गत व हाल रेकॅर्ड से जांच की गई। गत खसरा नंबर 336 व 362, 337 व 360, 341 व 343 के बीच के बीच गै.मु. रास्ता खसरा नं 342 व 361 दर्ज था। सेटलमेंट के बाद में हाल खसरा नं 475 व 477 के समानांतर होकर खसरा नंबर 476 व 477, 478 व 479, 480 के बीच खसरा नं 477 व 478 में होना चाहिए था। मौके पर भी खसरा नं 477 व 478 मे सें होते हुए आगे खसरा नं 480 के पास खसरा नं 483 में मिल रहा है।
2. अतः मौका अनुसार पूर्व की भांति रास्ता दर्ज करने के लिए हाल खसरा नं 478 व 480 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता जो ना काबिल काश्त रास्ता दर्ज है इस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नंबर 475 व 492, 493 के बीच पुर्व की स्थिति अनुसार 100×8=800 वर्ग मी. यथावत रखा जाना उचित है एवं खसरा नंबर 477 के दक्षिणी कोने से मुड रहा है वहा से लगा कर नजरी नक्शा में बताये अनुसार खसरा नंबर 478 व 480 के बिन्दु तक इसे खारिज किया जा कर खसरा नंबर 477 में 304 वर्गमीटर (76×4=304 व.मी.) खसरा नंबर 478 में(140×4=560 व.मी. व 44×5=220 व.मी.) मर्ज किया जावेगा शेष नजरी नक्शा में बताये अनुसार खसरा नं 481, 482 गै.मु. बेरा , सडा तक जाने हेतु रास्ता यथावत रहेगा, जिसका रकबा 316 वर्गमीटर रहेगा। इस प्रकार नया रास्ता खसरा नंबर 475 के समानांतर खसरा नंबर 476 व 477 के बीच की माठ तक जायेगा। जिसकी लंबाई 40×5.5व.मी. एवं खसरा नंबर 476 व 477 के बीच खसरा नंबर 477 में 76×4=304 व.मी एवं आगे खसरा नं 478 में 140×4=560 व.मी नया रास्ता दर्ज किया जा सकता है, खसरा नंबर 478 से रास्ता आगे खसरा नं 483 रकबा 316 व.मी. में मिल जायेगा।
3. सारांश में हाल खसरा नंबर 483 रकबा 0.22 हैक्टर में से 800 व.मी. एवं 316 व.मी.=1116 व.मी. यथावत रहेगा एवं 220+304=524 व.मी. खसरा नंबर 477 से एवं 560 वर्गमीटर खसरा नंबर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

पेज लगातार...............02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण Gcms No. 2023/181
बअनवान रघुनाथसिंह वगैरा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 128, 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

478 से दर्ज किया जायेगा। इस प्रकार रास्ते का कुल रकबा पुर्व की भांति 0.22 हैक्टर यथावत रहने से रिपोर्ट अनुसार नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया। तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी हल्का सेवतलाव व भू–अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान मौके पर विद्यमान रास्ते का मौका स्थिति के विपरित राजस्व नक्शे में त्रुटिपूर्ण इंद्राज हुआ है। जिसको माफिक रिपोर्ट शुद्ध किया जाना न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेवतलाव तहसील बाली के हाल खसरा नंबर 483 की माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली नक्शे में शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवतलाव, निरीक्षक भू–अभिलेख मुण्डारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। तहसीलदार बाली आदेशानुसार नक्शे में शुद्धि कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवतलाव को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

आदेश आज दिनांक 23-02-24 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

श्रीमान तहसीलदार साहब
तहसील - बाली

विषय - प्रार्थीगण श्री रघुनाथ सिंह पुत्र चिमनसिंह वगैरह के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 व 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम में जांच रिपोर्ट पेश करने बाबत।

महोदयजी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सेवतलाव निवासी श्री रघुनाथसिंह वगैरह द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बाली के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सेवतलाव की सरहद में उनके भाईयों की पैतृक भूमि ख.नं. 475 से 482, 487 488 आयी हुई है। उक्त खातेदारी भूमि के गत ख.नं. 336 337 341 343 344 360 362 369 370 थे। उक्त गत ख.नं. 336 337 341 343 360 362 369 370 के बीच ख.नं. 342 व 361 गै०मु० रास्ता था जिसे नये सेटलमेन्ट में हाल ख.नं. 475 476 एवं 477 के बीच में तथा ख.नं. 478 व 479 एवं 480 के बीच दर्ज किया जाना चाहिये था, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने हाल ख.नं. 477 478 के दक्षिण तरफ दर्ज कर लिया जो राजस्व रेकार्ड और मौके के विपरित है जिसे दुरस्त किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण की मौका एवं गत व हाल रेकर्ड से जांच की गई गत ख.नं. 336 व 362, 337 व 360 341 व 343 के बीच ख.नं. 342 व 361 दर्ज था, रेकर्ड नये सेटलमेन्ट में हाल ख.नं. 475 व 477 के समानान्तर होकर ख.नं. 476 व 477 478 व 479, 480 के बीच ख.नं. 477 व 478 में होना चाहिये था मौके पर भी ख.नं. 477 व 478 में से होते हुये आगे ख.नं. 480 के पास ख.नं. 483 में मिल रहा है।

अतः मौका अनुसार पूर्व की भांति रास्ता दर्ज करने हेतु हाल ख.नं. 483 रकबा 0.22 हे० किस्म गै०मु० रास्ता जो ना काबिल काश्त रास्ता दर्ज है इस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा अनुसार

ख.नं. 475 व 492, 493 के बीच पूर्व की स्थिति अनुसार 100x8 = 800 वर्ग मी० यथावत रखा जाना उचित है।

ख.नं. 477 के दक्षिणी कोने से मुड़ रहा है वहां से लगाकर नजरी नक्शा में बताये अनुसार ख.नं. 478 व 480 के बिन्दु तक इस खारिज किया जाकर ख.नं. 477 में 304 व.मी. ~~ख.नं. 560~~ (76x4 = 304 व.मी.) ख.नं. 478 में (140x4 = 560 वर्ग मी. व 44x5 = 220 व.मी.) मर्ज किया जायेगा. शेष नजरी नक्शा में बताये अनुसार ख.नं. 481 482 औ.मु. केरा सड़ा तक जाने हेतु रास्ता यथावत रहेगा. जिसका रकबा 316 व. मी० रहेगा.

इस प्रकार नया रास्ता ख.नं. 475 के समानान्तर ख.नं. 476 व 477 के बीच की मेड़ तक जायेगा जिसकी लम्बाई 40x5.5 = 220 व.मी. एवं ख.नं. 476 व 477 के बीच ख.नं. 477 में 76x4 = 304 व.मी. एवं आगे ख.नं. 478 में 140x4 = 560 व.मी. नया रास्ता दर्ज किया जा सकता है. ख.नं. 478 से रास्ता आगे ख.नं. 483 रकबा 316 व.मी. में मिल जायेगा।

सारांश में हाल ख.नं. 483 रकबा 0.22 है० में से 800 व.मी. एवं 316 व.मी. = 1116 व.मी. यथावत रहेगा एवं 220+304 = 524 व.मी. ख.नं. 477 से एवं 560 व.मी. ख.नं. 478 से दर्ज किया जायेगा इस प्रकार रास्ते का कुल रकबा पूर्व की भांति 0.22 है० यथावत रहेगा। उपरोक्तानुसार रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

[signature] 26/12/23
प० सवतलाव

[signature]
26/12/23
RI- [illegible]

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बाली जिला-पाली
क्रमांक/भू.अ./2023/1621 दिनांक 26/12/23

प्रेषित - श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बाली

xx xx

मूल जांच रिपोर्ट श्रीमानजी के न्यायालय में दर्ज मुकदमा नं. 181/2023 रघुनाथसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बाली में सादर पेश है।

[signature]
तहसीलदार (भू.अ.) बाली

Scanned by CamScanner

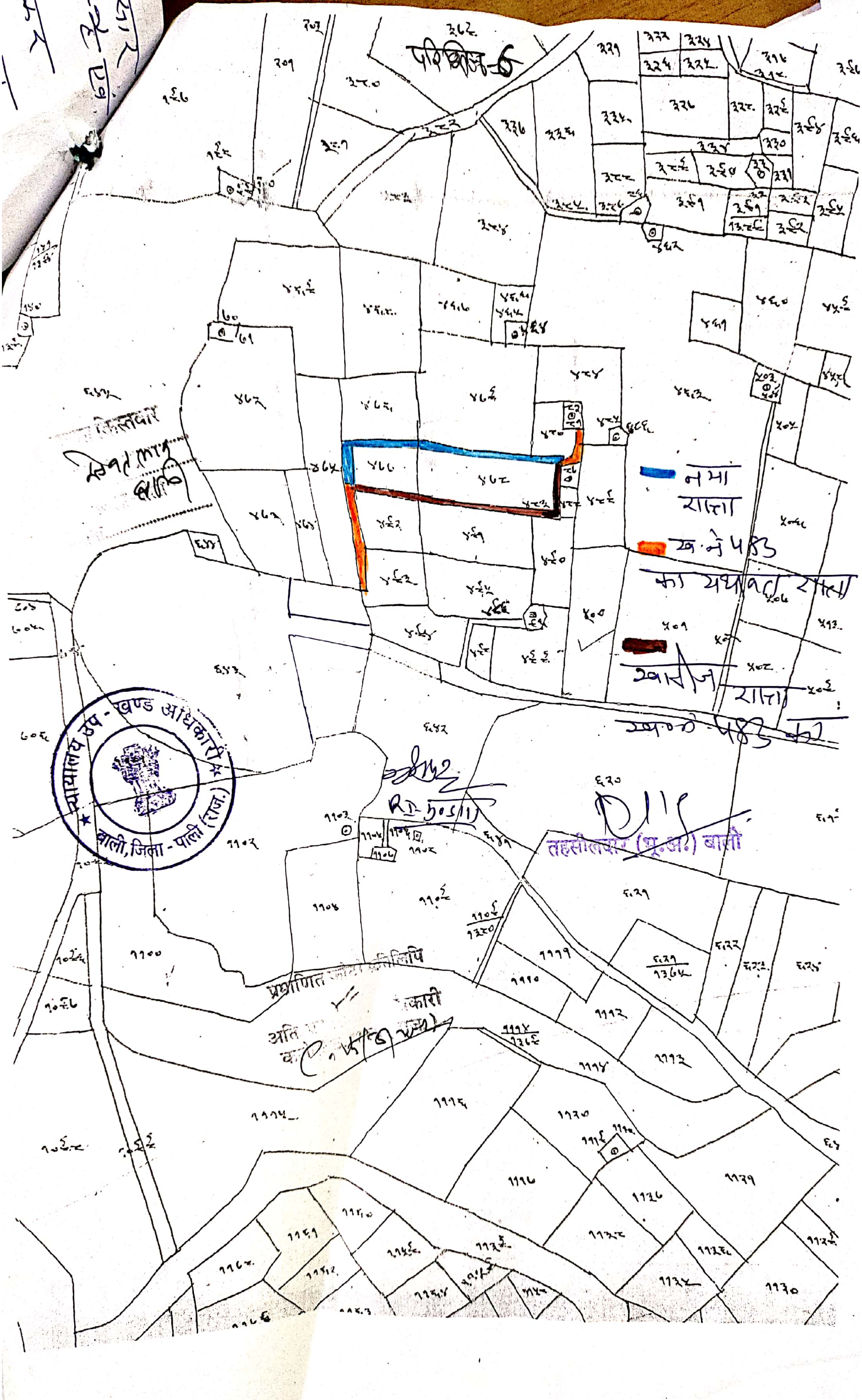

Scanned by CamScanner